दिनांक 17 अप्रैल 2020

स्वच्छ भारत अभियान
स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

दुकान खुला रखने पर उड़नदस्ता की टीम ने की कार्यवाही , दुकानदारों पर 12000 का जुर्माना लगाकर कराया गया बंद

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत उड़नदस्ता की टीम लॉक डाउन एवं धारा 144 का कड़ाई से पालन कराने शहर के विभिन्न स्थलों में निरीक्षण करते हुए आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही कर रही है इसी के तहत आज उड़नदस्ता की टीम द्वारा नेहरू नगर , खुर्सीपार, कैंप क्षेत्र, वैशाली नगर क्षेत्र, रामनगर, लिंक रोड, पावर हाउस के समीप, मॉडल टाउन, स्मृति नगर, राधिका नगर, कुरूद, नंदनी रोड, बापूनगर आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया! बांगड़ा किराना स्टोर के संचालक बाबूराम देवांगन द्वारा फोटोकॉपी मशीन सेंटर चलाने एवं सामग्री विक्रय करते पाए जाने पर दुकान बंद करवाकर 5000 रुपए अर्थदंड वसूल किया गया! मां शीतला किराना स्टोर एवं जनरल स्टोर श्री राम चौक वार्ड क्रमांक 14 मुक्तिधाम के समीप के संचालक प्यारेलाल चंद्राकर द्वारा किराना दुकान खोलकर सामग्री विक्रय करते पाए जाने पर दुकान बंद कराकर 5000 रुपए अर्थदंड वसूल किया गया इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 14 मुक्तिधाम के समीप ही आटा चक्की दुकान में भीड़ बढ़ाने एवं दुकान खोल कर रखने पर 2000 रुपए अर्थदंड वसूल करते हुए बंद कराया गया! गौरतलब है

जनसंपर्क अधिकारी